

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 627]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 17, शक 1932

संस्कृति विभाग

संस्कृति संचालनालय

माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, शिवाजी नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2010

क्र. 712-सं.सं.-2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, संस्कृति विभाग के अधीन मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् के सेवा भरती नियम, 2005 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21 दिसम्बर 2007 में प्रकाशित हैं, को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात् :-

1. अध्याय-एक-प्रारंभिक 3. विवेचन (छ) में मन्जूरी देने वाले प्राधिकारी से अभिप्रेत है अनुसूची एक- में उल्लेखित समस्त पदों के संबंध में "कार्यकारिणी समिति".
2. अध्याय-दो-भरती का तरीका 4. नियुक्ति प्राधिकारी:—(2) अनुसूची एक में दर्शाए पद क्र. 1 एवं 2 के मामले में मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् द्वारा नियुक्ति की जाएगी.
3. अध्याय-दो-भरती का तरीका 7. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति (ख) में क्रमोन्नति योजना/समयमान वेतनमान योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
4. अनुसूची एक इस प्रकार होगी—

अनुसूची-एक

मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल

(सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या)

संख्या	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)

1 निदेशक

PB-3 Rs. 15600-39100+7600

7

(मनोनयन पर अधिकतम रु. 30,000/-निश्चित वेतन)

(1)	(2)	(3)	(4)
2	उपनिदेशक (प्रभागों हेतु) (मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् द्वारा मनोनयन)	(अधिकतम रु. 20,000/- निश्चित वेतन)	5
3	उपनिदेशक	PB-3 Rs. 15600-39100+6600	7
4	सहायक निदेशक	PB-2 Rs. 9300-34800+4200	7
5	लेखा अधिकारी (कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर).	PB-2 Rs. 9300-34800+4200	1
6	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (लेखा/स्थापना/प्रकाशन)	PB-2 Rs. 9300-34800+3200	12
7	सहायक ग्रेड-1 (सहा. ग्रेड-1, लेखापाल/सहा. सर्व अधि.)	PB-1 Rs. 5200-20200+2800	14
8	स्टेनोग्राफर	PB-1 Rs. 5200-20200+2800	4
9	सहायक ग्रेड-2	PB-1 Rs. 5200-20200+2400	16
10	सहायक ग्रेड-3	PB-1 Rs. 5200-20200+1900	20
11	ड्रायवर	PB-1 Rs. 5200-20200+1900	3
12	जमादार/दफ्तरी	1S- Rs. 4440-7440+1400	5
13	भृत्य (भृत्य, माली, चौकीदार, स्वीपर)	1S- Rs. 4440-7440+1300	32
		कुल पद	133
	सुपर न्यूमेरेरी कनिष्ठ सहायक कलाकार	PB-1 Rs. 5200-20200+1900	2

5. अनुसूची दो में निदेशक सात पद और कॉलम 6 में शासन के स्थान पर परिषद् पढ़ा जाए. पदों की कुल संख्या कॉलम तीन में उपनिदेशक पांच एवं उसके सामने अंकित शासन के स्थान पर परिषद् और उसके बाद अंकित उपनिदेशक सात पद पढ़ा जाए.

6. अनुसूची तीन-बी इस प्रकार होगी:—

### अनुसूची-तीन "बी"

#### मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल

(परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की आयु एवं आर्हता)

संस्था का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं	अन्य अनिवार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
म. प्र. संस्कृति परिषद्	निदेशक	40 वर्ष	65 वर्ष	स्नातक	1. साहित्य अकादमी-हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक एवं अकादमिक कार्यों के जानकार को प्राथमिकता. 2. कालिदास अकादमी-कालिदास/संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक एवं अकादमिक कार्यों के जानकार को प्राथमिकता. 3. संगीत एवं कला अकादमी-रूपंकर, सिनेमा, प्रदर्शनकारी कलाओं के क्षेत्र में अकादमिक कार्यों के जानकार को प्राथमिकता.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>4. आदिवासी लोक कला अकादमी-प्रदेश की आदिवासी एवं लोक कला तथा संस्कृति में अकादमिक कार्यों के जानकार को प्राथमिकता.</p> <p>5. सिंधी साहित्य प्रभाग-सिंधी साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक एवं अकादमिक कार्यों के जानकार को प्राथमिकता.</p> <p>6. मराठी साहित्य अकादमी-मराठी साहित्य एवं कला के जानकार को प्राथमिकता.</p> <p>7. पंजाबी साहित्य अकादमी-पंजाबी साहित्य एवं कला के जानकार को प्राथमिकता.</p>
उपनिदेशक	40 वर्ष	65 वर्ष	स्नातक		<p>1. इकबाल साहित्य प्रभाग-इकबाल साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक एवं अकादमिक कार्यों के जानकार को प्राथमिकता.</p> <p>2. तुलसी साहित्य प्रभाग-तुलसी साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक एवं अकादमिक कार्यों के जानकार को प्राथमिकता.</p> <p>3. संस्कृत प्रभाग-संस्कृत के क्षेत्र में साहित्यिक एवं अकादमिक कार्यों के जानकार को प्राथमिकता.</p> <p>4. संगीत प्रभाग-संगीत के क्षेत्र में साहित्यिक एवं अकादमिक कार्यों के जानकार को प्राथमिकता.</p> <p>5. मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्-अकादमिक कार्यों के जानकार को प्राथमिकता. संस्कृति संचालनालय से.</p>

**नोट:—**उपरोक्त प्रकरणों में नियुक्ति/मनोनयन की अवधि अधिकतम तीन वर्ष को होगी.

उपरोक्तानुसार संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगे.

**श्रीराम तिवारी, संचालक.**